



टी बोर्ड भारत

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन, भारत सरकार

14, बी.टी.एम सरणी (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता-700001

www.teaboard.gov.in

दिनांक: 16.11.2022

कार्यालय ज्ञापन सं.101/2022

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राजकुमार मंडल (एम-230), एम.टी.एस, बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली से संबद्ध, 31.05.2023 को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करेंगे। टी बोर्ड उप-नियम, 1955 (यथा संशोधित) के उप-नियम 30 के अनुसार, एफआर 56 (ए) के साथ पढ़ा जाता है, उन्हें 31.05.2023 के अपराहन से बोर्ड की सेवाओं से सेवानिवृत्त किया जाएगा।

श्री मंडल अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले, नियमों के तहत सभी प्रकार के अवकाश का लाभ उठा सकते हैं जिसके वे हकदार हैं, जिसमें परिवर्तित/अर्धवेतन अवकाश भी शामिल है। तथापि, यदि वह भारत के भीतर बिताते हैं तो उन्हें एक बार में 300 दिनों से अधिक अर्जित अवकाश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

दिनांक 25.09.2008 को जारी भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. संख्या 14028/3/2008-स्था(एल) के अनुसार यदि वह चाहे तो उन्हें सेवानिवृत्ति के समय अर्जित अवकाश और अर्धवेतन अवकाश की अवधि के संबंध में अवकाश वेतन के समतुल्य नकद भुगतान भी किया जा सकता है (बशर्ते कुल अर्जित अवकाश और अर्धवेतन अवकाश 300 दिनों से अधिक नहीं होगा)।


(डॉ. ऋषिकेश राय)
सचिव (प्र)

वितरण:

1.	श्री राज कुमार मंडल, वरि. सहायक टी बोर्ड, डीटीआर एंड डीसी, कर्सियांग	
2.	उपाध्यक्ष चाय विकास, सिलिगुड़ी	
3.	वि.स एवं मु.ले.अ.	
4.	लेखा अधिकारी (वेतन & रोकड़)	
5.	अवकाश अनुभाग	
6.	प्रभारी, पेंशन & पीएफ शाखा	
7.	सचिवालय शाखा	
8.	आईटी कक्ष	बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित
9.	टीबीइए	
10.	चाय बोर्ड कर्मचारी सहकारी समिति लिमिटेड, कोलकाता	
11.	स्थापना शाखा	अतिरिक्त प्रतियाँ सहित

संदर्भ सं. मिसिल सं. 21(1)/स्था/2020